न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प
उमाजी का खेडा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS

राजस्व प्रकरण संख्याः—135 / 2017 दायर तारीख 14.12.2017

01 देवालाल पिता उदयलाल जाति धाकड उम्र 35 वर्ष निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

02 गोपाली पुत्री उदयलाल जाति धाकड उम्र 32 वर्ष निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयलाल पिता लालू जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. प्रकाश पिता उदयलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. दिनेश पिता उदयलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. कृष्णा पुत्री उदयलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

06. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां

07. उप पंजीयक बिजौलियां

..........विपक्षीगण

उपस्थितः— जगदीशचन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
गिरधारीलाल आचार्य अधिवकता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188 राज0 काश्त0 अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम

:—आदेशः— दिनांक 18.05.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है साथ ही प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुरोहितो का खेडा प0म0 उमाजी का खेडा की शरहद में सम्वत् 2042 से 45 एंव इससे पूर्व राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदार लालू पिता किशना धाकड के खातेदारी अधिकारों एंव कब्जेसुदा जमीन आ0नं065, 66, 127, 330, 388, 389, 394, 638 किता 8 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि लालू पिता किशना धाकड के नाम दर्ज थी। लालू की मृत्यू के उपरान्त वादग्रस्त आराजीयात विपक्षीगण 1 के नाम चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 का समान हिस्सा नही था। प्रार्थीगण का पुश्तैनी भूमि में जन्मसिद्व अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी भूमि में हक हिस्सा रखने के अधिकारी है। विपक्षी संख्या 1 हिन्दूकर्ता खानदान होने से राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज रिकार्ड की गई। किन्तु कर्ता खानदान होने से पुश्तैनी जमीन को विक्रय हस्तान्तरण करने का अधिकार नही है। प्रार्थी विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 का भी हक हिस्सा निहित होकर प्रथम श्रैणी के उत्तराधिकारी है। तथा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार विपक्षी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा नही होकर 1/6 हिस्सा है। वादीगण हिस्से की भूमि पर काबिज हो 15 वर्षो से काबिज हो काश्त करते आ रहे है। विपक्षी नं0 1 मात्र हिन्दूकर्ता खानदान होने से वादग्रस्त भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसका विपक्षी नं0 1

आराजीयात विपक्षी सं0 1 के नाम दर्ज होने से वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने क उदेश्य से विपक्षी नं0 1 वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय हस्तान्तरण करने बाबत सोदेबाजी करना प्रारम्भ कर दिया। कभी भी भूमि का पंजीयन करा सकता है। जिससे विपक्षीगण को जरिय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की ग्राम पुरोहितो का खेडा की आ0नं0 65, 66, 127, 330, 388, 389, 394, 638 किता 8 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में दखलन्दाजी उत्पन्न नही करे व बेदखल नही करे, विक्रय हसतान्तरण नही करे तथा राजस्व रिकार्ड में मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगणों की तलवी करवाई गई।

विपक्षीगण कमांक 1 से 4 की ओर से श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। जवाब में अकिंत किया कि प्रार्थना पत्र की चरण जिस प्रकार लिखी गयी है। स्वीकार योग्य नही है। केवल राजस्व रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त जायदाद का विवरण स्वीकार है। लालू धाकड की मृत्यु कब हुयी इसको स्पष्ट नही किया है। लालू धाकड की मृत्यु के समय उनके कौन–कौन से उत्राधिकारी जीवित थें उसी के परिपेक्ष में विपक्षी न0 1 का कितना हिस्सा बनता है यह तय होगा। प्रार्थीगण में से प्रार्थीया न0 2 विवाहिता होकर अपने ससुराल में रह रहीं है। जहॉ तक परिवार के कर्ता को भूमि विक्रय का अधिकार नही होने पे तथ्य लिखे है। सदैव इस प्रकार के प्रतिबंध नही है। कर्ता परिवार को पुश्तैनी जायदाद के विक्रय के अधिकार दिये गये है। जिसमें पारिवारिक व्यय में धन की आवश्यकता, परिवार के सदस्य का विवाह, हिन्दू परिवार के सदस्य की बिमारी, परिवार के सदस्य की शिक्षा इन परिस्थितियों में कर्ता भूमि का विक्रय कर सकता है। विपक्षी न0 2 से 4 की शिक्षा पर विपक्षी ने धन व्यय किया है। प्रार्थीया क्रम 2 के ससुराल पक्ष ने मौत–मरण व शादी विवाद में आवश्यक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए धन व्यय किया जाता रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त जायदाद में प्रत्येक 1/6वां हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। श्रीमती प्यारी बाई पत्नि लालू धाकड प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। क्योंकि वादग्रस्त जायदाद में उनका हिस्सा है। प्रतिवादी न0 1 परिवार के कर्ता के रूप में सम्पति का वादीगण के साथ दुर्भावना व दुरासय से ग्रसित अन्तरण नही कर रहा है। किन्तु परिवार के सदस्यों की शिक्षा व बिमारी, रोजगार के लिए व सम्पति के विस्तार के लिए भूमि को अन्तरित करने का अधिकार है। जो सदस्यों के हितो के मध्य नजर किया जायेगा। प्रार्थी गण सह व्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी वर्तमान, जमाबंदी, जमाबंदी संवत् 2042–45 प्रस्तुत की है। विपक्षी ने केवल प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया है। अन्य कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये है।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर शिविर में निस्तारण हेतु प्रकरण रखा गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी से विपक्षी खातेदार होकर स्वामित्व टाईटल विपक्षी का है। टाईटल विपक्षी का है तो कंब्जा भी विपक्षी का माना जावेगा। प्रार्थीगणों को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षती भी नही हो रही है। प्रार्थीगण देवालाल गोपाली मृतक लालू पिता किशना धाकड के वारीसान भी है या नही यह तथ्य मूलवाद में प्रस्तुत साक्ष्य से ही स्पष्ट होगा। प्रार्थीगण ग्राम पुरोहितो का खेडा की वादग्रस्त जायदाद के खातेदार नही है विपक्षी नं0 1 खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण ने वादपत्र 88–188 का प्रस्तुत किया है। प्राईमाफेसी केश प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलिया (भीलवाड़ा)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.05.2018 को मुकाम उमाजी का खेडा पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर सकम की जाकर फैसल शुमार हो।

18/05/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प उमाजी का खेडा)